UPAL-020002274 2022

[redacted]

धारा — 13 (B) H.M. Act

[redacted] फोटोप्रतिलिपि संलग्न है

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीगढ़ उ०प्र०

Kishan Pal Sharma
Advocate
Civil Court, Aligarh
Reg No. 7229/... Mob.-9719062576

V Sharma
Advocate
Civil Court Aligarh

| | | | |
|---|---|---|---|
| एक मार्च सन 2023 | दो मार्च सन 2023 | | |
| | | [illegible] | WA-40 |
| 01-3-2023 | 02-3-2023 | | |

0 1 MAR 2023

0 1 MAR 2023

प्रार्थनापत्र देने का दिनांक..............
प्रार्थना पत्र संख्या.............. 145
हस्ताक्षर प्राप्त कर्ता..............

1370

न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कोर्ट सं0—01, अलीगढ़।
उपस्थितिः— गरिमा सिंह—I "उच्चतर न्यायिक सेवा"

[redacted]

बनाम

2. [redacted]

वाली [redacted]

डी ब्लॉ [redacted]

प्रस्तुत विवाह याचिका, याची सं0—01/पत्नी एवं याची सं0—02/पति के द्वारा संयुक्त रूप से धारा 13बी हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन पक्षकारों के मध्य सम्पन्न हिन्दू विवाह दिनांकित 19—02—2018 को विच्छेदित किये जाने के अनुतोष हेतु योजित की गयी है।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि याचीगण का विवाह दिनांक 19—02—2018 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। विवाह के बाद याचीगण पति—पत्नी की भांति एक साथ रहे। शादी के बाद से याचीगण के मध्य आपसी मतभेद उत्पन्न हो गये तथा दोनों का पतिं पत्नी की भंति एक—दूसरे के साथ रहना संभव नहीं हो सका। याचीगण समझौते के आधार लम्बित मामलों को समाप्त करायेगे। याची सं01 ने अपना समस्त स्त्रीधन याची सं02 से प्राप्त कर लिया है। कुल भरण पोषण 5 लाख 50 हजार रूपये याची सं01 प्राप्त करेगी जिसमें से ढाई लाख रूपये का डीडी प्राप्त कर लिया है ढाई लाख रूपये का डीडी बयान के समय प्राप्त करेगी तथा 50 हजार नगद प्राप्त करेगी। याची सं0—1 माह अक्टूबर 2019 से अलग अपने मायके में रह रही है। तभी से याचीगण के मध्य न तो कोई वार्ता हुई और न ही कोई शारीरिक सम्बन्ध स्थापित हुए हैं। याचीगण के मध्य मतभेद इतने बढ़ गये हैं कि उनका एक—दूसरे के साथ रहकर सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत करना असंभव है। याचीगण ने बिना किसी दबाव के स्वेच्छापूर्वक तय किया कि उनके मध्य हुये विवाह को विच्छेदित करा लिया जाये। याचीगण दिनांक माह अक्टूबर 2019 से अलग—अलग रह रहे हैं तथा आपसी सहमति से वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेदित कराना चाहते हैं। याचीगण के मध्य कोई भी दुरभि संधि नहीं हुई है।

तत्पश्चात् याची सं0—01 के द्वारा शपथपत्र 11क तथा याची सं0—02 के द्वारा शपथपत्र 12क प्रस्तुत किये गये तथा याची सं0—01 के द्वारा न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में याचिका के कथनों का समर्थन करते हुये कथन किया गया कि मेरी शादी दिनांक 19—02—2018 को याची सं0—02 के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी।

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीगढ़ उ0प्र0

10/2/21

YT-3332-ABB(1)

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचीगण के मध्य सम्पन्न विवाह तथा उनका पति पत्नी के रूप में सम्बन्ध भविष्य में चल पाना संभव नहीं है, जिसे वह परस्पर सहमति से विच्छेदित कराना चाहते हैं। अतः उक्त याचिका धारा 13बी हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुये याचीगण के मध्य सम्पन्न विवाह विच्छेदित किये जाने योग्य है।

**आदेश**

याचीगण की विवाह याचिका संख्या 1116/2022 अंतर्गत धारा 13बी हिन्दू विवाह अधिनियम आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार की जाती है।

याचीगण के मध्य सम्पन्न हिन्दू विवाह दिनांकित 19–02–2018 याचीगण की आपसी सहमति के आधार पर विच्छेदित घोषित किया जाता है।

फरवरी 10, 2023

अ [redacted]

परिवार [redacted]

J.C [redacted]

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

फरवरी 10, 2023

[redacted]

परिव [redacted]

Judge.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
अपोस्टिल / APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

| | |
|---|---|
| *Country* | **REPUBLIC OF INDIA** |
| ***This public document*** | |
| DECREE SHEET | |
| *has been signed by* | ADDL PRL JUDGE |
| *acting in the capacity of* | ADDL PRL JUDGE |
| *bears the seal/stamp of* | SDM, NAND NAGRI, DELHI |

**Certified**

*at* NEW DELHI, INDIA *the* 05-Jul-2023
*by* SO (OI/Attestation) MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
*No.* MHMC0000179323

*Seal / Stamp* *Signature*

*is issued to* [redacted]

[redacted]

विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS GOVT. OF INDIA, NEW DELHI भारत सरकार, नई दिल्ली मु0568

(संदीप कुमार)
(Sandeep Kumar)
अनुभाग अधिकारी (सत्यापन/ओ.आई.)
Section Officer (Attestation/O.I.)
सी.पी.वी. प्रभाग / C.P.V. Division
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
Ministry of External Affairs, New Delhi